GST NO. 07AAACE1747M1ZJ CIN U20299DL1986 NPL023253

EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS

EPCH HOUSE, POCKET 6 & 7, SECTOR 'C', LOCAL SHOPPING CENTRE, VASANT KUNJ, NEW DELHI-110070

Tel: 91-11-26135256 / 57 / 58 **Email:** mails@epch.com

Fax: 91-11-26135518,26135519 **web:** www.epch.in

PRESS RELEASE

CHAIRMAN EPCH RAISES EXPORTS TO IRAN MATTER WITH DGFT

New Delhi – 31st July, 2018 - The handicrafts exporters have been facing problem with respect to claiming MEIS benefits for their exports to Iran. Shri O.P. Prahladka, Chairman, EPCH and Shri Rakesh Kumar, Executive Director – EPCH met Shri Alok Chaturvedi, DGFT and discussed issues pertaining exports of handicrafts.

The issuance of eBRC, relaxation of three months for executing present orders to Iran and IGST exemption on duty free import of essential embellishment, trimmings, tools and consumables for handicrafts sector were the major issues which were discussed during the meeting.

Shri O.P. Prahladka, Chairman – EPCH said that the DGFT gave a patient hearing and assured all possible help to facilitate MEIS benefit to the handicrafts exporters with respect to exports to Iran.

Shri Rakesh Kumar, ED – EPCH said that DGFT also assured that the matter pertaining to exemption of IGST on duty free import of essential embellishment, trimmings, tools and consumables for handicrafts sector will also be considered favorably.

The exports of handicrafts during the latest period April- June 2018-19 have registered a growth of 3.52% in Rupee terms and stands at Rs. 5797 crores. However, in dollar terms there is a marginal decline (-) 0.39% with exports of US $ 865 million.

For more information, please contact :
Shri Rakesh Kumar- ED – EPCH - +91-9818272171

Copyright 2018 - Export Promotion Council for Handicrafts. All Rights Reserved.

प्रेस विज्ञप्ति

ईपीसीएच के चैयरमैन ने ईरान के साथ निर्यात मुद्दे को डीजीएफटी के समक्ष उठाया

नई दिल्ली - 31 जुलाई 2018 - हस्तशिल्पी निर्यातक ईरान को निर्यात के संदर्भ में [MEIS] एमआईईएस के फायदों को प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। ईपीसीएच के चैयरमेन श्री ओ.पी. प्रहलादका एवं ईपीसीएच के कार्यकारी निदेशक श्री राकेश कुमार ने इस मामले को लेकर डीएजीएफटी श्री आलोक चतुर्वेदी से मुलाकात की और उनसे इस संबंध में चर्चा की।

ई बीआरसी के जारी होने, ईरान को निर्यात होने वाले वर्तमान आदेशों के क्रियान्वयन में तीन माह की छूट एवं आवश्यक सजावटी वस्तुओं, आभूषण-कसीदाकारी, उपकरण, एवं हस्तशिल्प के उपभोगयोग्य वस्तुओँ के शुल्क मुक्त आयात पर आईजीएसटी छूट जैसे मुद्दों पर मुलाकात के दौरान प्रमुख तौर पर चर्चा हुई।

ईपीसीएच के चैयरमेन श्री ओ.पी. प्रहालदका ने बताया कि डीजीएफटी ने सभी मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुना है और सभी हस्तशिल्प निर्यातकों को ईरान को निर्यात के संदर्भ में एमईआईएस के फायदों का लाभ पहुंचाने के लिए हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया है।

ईपीसीएच के ईडी श्री राकेश कुमार ने कहा कि डीजीएफटी ने आवश्यक सजावटी वस्तुओं, आभूषण-कसीदाकारी, उपकरण, एवं हस्तशिल्प के उपभोगयोग्य वस्तुओँ के शुल्क मुक्त आयात पर आईजीएसटी छूट जैसे मुद्दों पर भी हस्तशिल्पियों के हित को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

अप्रैल-जून 2018-19 के दौरान रुपये के संदर्भ में 3.52% की वृद्धि के साथ हस्तशिल्प का निर्यात 5,797 करोड़ रुपये का हुआ है. हालांकि डॉलर के संदर्भ में इसमें (-) 0.39% की मामूली गिरावट आयी है और यह $ 865 मिलियन अमरीकी डॉलर रहा है.

अधकि जानकारी के लएि कृपया संपर्क करें :
श्री राकेश कुमार- ईडी - ईपीसीएच - + 91-9818272171

Copyright 2018 - Export Promotion Council for Handicrafts. All Rights Reserved.

Copyright 2018 - Export Promotion Council for Handicrafts. All Rights Reserved.